

18-3-19.

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वलील उषा है।
 प्राची वलील ने कास्टर म्लेम का जवाब पेश
 किया, नकल दी जाकर शामिल पत्रावली किया
 गया। पक्षकारान उषा वलील को अन्वेषण
 करवाई निषेधाज्ञा पर सुना गया तो दोनो बक्स
 तालाबी भूमि को दोनो दोष भूमि पर उभय
 पक्षकारान कूल वादु के निस्तारण तक मौके एवं
 रिपोर्ट की प्रवाहिवली बनाये रखने हेतु सहूल
 हो गये एवं सहूलि रखरूप इस्ताकर भी निषेध
 अतः सहूलि के उषा वलील पर उभय पक्ष को उद्वृष्ट
 आदेशों नम्बर 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
 कूल विला 7 कुल खखो 14 वीषा 15 गिखा वाले
 गाम भूखस के मौके एवं रिपोर्ट की मूल वलील के
 निस्तारण तक प्रवाहिवली बनाये रखने हेतु
 अरवाई निषेधाज्ञा साफा कर किया गया। इस
 बाबत साबुकिट को सूचना दे लई गयी है।
 पत्रावली पेशल शुमार होकर इन नम्बर से काम हो।
 सोदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[Handwritten signature/initials in blue ink]

उप खण्ड अधिकारी
 साँभर लोक